

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2006

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

पैदल यात्री अंडरपास का निर्माण

2006. श्री आर. के. चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-30 (लखनऊ-रायबरेली खंड) पर यातायात की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मोहनलालगंज मुख्य बाजार सहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल यात्री अंडरपास, फुट ओवरब्रिज या फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए वार्षिक अनुरक्षण योजना के अंतर्गत कोई बजटीय प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो पूरा होने के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मोहन बानी (जूनाबगंज)-मोहनलालगंज-गोसाईगंज सड़क संपर्क परियोजना के संबंध में सड़क सुरक्षा और उच्च दृश्यता वाले साइनेज कार्यों के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रियायतग्राही पर कोई सख्त कार्य-निष्पादन आधारित मानदंड और समय-सीमा लागू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय या इसके क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के भीतर एक समर्पित लोकपाल या शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है जहां उप-ठेकेदार भविष्य की सरकारी परियोजनाओं से काली सूची में डाले जाने के डर के बिना प्राथमिक रियायतग्राहियों द्वारा मनमाने ढंग से ठेका समाप्त करने, अनधिकृत कटौतियों या लंबे समय तक भुगतान न किए जाने की सूचना दे सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार/चौड़ीकरण/निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य करता है। परियोजना कार्यान्वयन और निवेश का निर्णय डीपीआर के परिणाम, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर लिया

जाता है। मोहनलालगंज मुख्य बाजार में निर्बाध यातायात के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया जा रहा है।

(ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (एनई) के रूप में घोषित और अधिसूचित सड़क के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। जहां तक मोहन बानी (जूनाबगंज) - मोहनलालगंज - गोसाईगंज सड़क का संबंध है, यह एनएच/एनई नहीं है।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर, सभी योजनाओं के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीएमआरएमएस), पहले से ही मौजूद है; जो नागरिकों के लिए सेवा प्रदायगी से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है। यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।
